न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/127

प्रकरण संख्या 86/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री भेरूलाल पिता भूरा मोगिया निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड, उदयपुर।

.................प्राथीयां

बनाम

1. श्री रतना पिता परथा मोगिया निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड, उदयपुर।
2. श्री भग्गा पिता भेरा मोगिया निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड, उदयपुर।
3. श्री मांगीलाल पिता रूपा मोगिया निवासी धाकड़ो का खेड़ा, तहसील कानोड, उदयपुर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री सुशील कुमार जैन

निर्णय

दिनांक : 14.05.2022

1. प्रार्थी श्री भेरूलाल पिता भूरा मोगीया निवासी धाकड़ों का खेड़ा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा जागरी भू.अ.नि. क्षेत्र लूणदा तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 के आराजी संख्या 1409, 1411, 1417 किता 3 रकबा 1.5200 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थी केवल एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम है जिसका नक्शा ट्रेस संलग्न है। उक्त वर्णित प्रार्थी की भूमि के पड़ौस में विपक्षीगणों की भूमि आ गई और प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विपक्षीगण विवाद करते है तथा प्रार्थी की खातेदारी उपयोग उपभोग की उक्त भूमि में विपक्षीगण ... प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलांदाजी करते है एवं ... धमकिया देते हैं तथा विपक्षीगण द्वारा मौके पर विवाद ... प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि की दिनांक 25.04.2022 को पत्थरगढ़ी ... के लिये विपक्षीगणों से कहा तो विपक्षीगणों ने सक्षम न्यायालय में कानुनी कार्यवाही कराने के लिये कहा जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर विवश होना पड़ा।
2. प्रार्थीगण का बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण दिनांक 25.04.2022 को पैदा हुआ जब कि विपक्षीगणों को प्रार्थीगण ने भूमि की पत्थरगढी कराने के लिये कहा तो उन्होंने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.))

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

कानूनी कार्यवाही कराने को कहा तब से निरन्तर जारी हे। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा जागरी भू.अ.नि. क्षेत्र लूणदा तहसील कानोड की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 के आराजी संख्या 1409, 1411, 1417 किता 3 रकबा 1.5200 हैक्टैयर भूमि की प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पक्की पत्थरगढी तहसीलदार की मार्फत कराई जावे एवं मौके पर पत्थर गडवाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर सभी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में तलब किया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री रतना पिता परथा, श्री भग्गा पिता भेरा, श्री मांगीलाल पिता रूपा मोगिया राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 के आराजी संख्या 1409, 1411, 1417 किता 3 रकबा 1.5200 हैक्टैयर भूमि की पत्थर कराये जाने पर सहमत है एवं उनके हस्ताक्षर फर्द अहकाम आदेशिका में लिये गये।

4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्धान प्राथी अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की गई बहस पर मनन किया जिससे मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा जागरी भू.अ.नि. क्षेत्र लूणदा तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 के आराजी संख्या 1409, 1411, 1417 किता 3 रकबा 1.5200 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी श्री भैरूलाल पुत्र भेरा हिस्सा पूर्ण जाति मोगिया के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसकी पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा जागरी भू.अ.नि. क्षेत्र लूणदा तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 168 के आराजी संख्या 1409, 1411, 1417 किता 3 रकबा 1.5200 हैक्टैयर भूमि प्रार्थी श्री भैरूलाल पुत्र भेरा हिस्सा पूर्ण जाति मोगिया के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसकी पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

6. निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत खुले न्यायालय में सुनाया [illegible] पत्र[illegible] फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)